No. 21/1/2023-CS.I(Coord)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions
Department of Personnel & Training
(CS.I Division)

2nd Floor, Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi

Dated: 01st April, 2025

Office Memorandum

Subject: Engagement of retired government employee as Consultants on contract basis in Ministry of Health and Family Welfare.

Reference is invited to the Circular No. Z.28015/01/2025-Estt.II dated 25.03.2025 received from the Ministry of Health and Family Welfare on the above mentioned subject. Eligible candidates are invited to submit their applications to the M/o Health and Family Welfare within one month from the date of issue of M/o Health and Family Welfare's circular.

2. In case of any further clarification, applicants are requested to contact the concerned Ministry/Department directly.

Encls: As above

(Sunil Kumar)

Under Secretary to the Government of India

To.

The Retired CSS Officers (Through DoPT's Website)

By st. Masterga

No.Z.28015/01/2025-Estt.II Government of India Ministry of Health & Family Welfare (Establishment-II)

Nirman Bhawan, New Delhi Dated the 25-03-2025

CIRCULAR

Subject: Engagement of Consultants in the Department of Health and Family Welfare on contract basis.

Ministry of Health and Family Welfare invite applications from retired government servants for engagement as Consultants on contract basis. The consultants will be posted in the Department. Detailed terms and conditions of engagement of consultants are annexed. The eligibility criteria and other details are as follow:

 No. of consultants to be engaged on contract basis: 	3
2. Age limit	Maximum of 63 years as on date of application
3. Place of assignment	Hospital-I Section, Department of Health & Family Welfare, Nirman Bhawan, New Delhi
4. I enure of contract	One Year
5. Eligibility 6. Assignment	As per Annexure

Interested persons who are in a position to join immediately on call may submit their particulars in the enclosed format along with a copy of PPO, addressed to the "Under Secretary (Admn.), Room No.-330 'C-wing', Nirman Bhawan, New Delhi" within one month from date of this circular.

Digitally signed by Amit Kumar Sharma

(Amit Kumar Sharma)
Under Secretary to Government of India
Telefax: 23061323 1. NJC, MoHFW for publishing the circular in M/o of Health & FW's website.

2. Under Secretary (CS.I)(Kind Attn: Shri Sunil Kumar), Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi - for publishing the circular in DoPT's website.

E-office notice board.

4. Notice board

SI. No.	Total positions-3, Term of Contract - On	ic year
31. 110.	Assignments	Eligibility
	To Assist in discharge of the following matters related to Central Government Hospitals: (A) Administrative and establishment related work including promotion, proposals for Direct Recruitment, Departmental Promotion Committee Proposals, UPSC related matters, Cadre restructuring,	Retired Central Governmen Servant at the level of ASO/SO US
1.	(B) Framing and amendment of Recruitment Rules and related follow-up with concerned divisions/departments like DoPT, UPSC, Legislative Department etc.	
	(C) Coordination with Central Government Hospitals, Dte.GHS and other stakeholders for facilitating information	
	(D) Other miscellaneous work	80
	To Assist in discharge of the following matters related to Central Government Hospitals: (A) Court Case/Appeals/ Contempt Case related legal matters work including drafting of para-wise comments, application of relevant Rules and Regulations of Government, liaising with stakeholders in Dte.GHS and Hospitals (B) Coordination with Central Government Hospitals, Dte.GHS and other stakeholders for facilitating information (C) Preparation of status note and brief notes on Cases (D) Other miscellaneous work	Retired Central Government Servant at the level of ASO/SO/ US
	(A) Handling of Complaints & Vigilance related matters including comments on factual report received from Hospitals, examination of disciplinary matters (B) Public Grievances/ Representations, Commission NCSC/ NCST/ NCBC/ NHRC) related matters and tatus reports related to them (C) Coordination with Central Government Hospitals for accilitating information	Retired Central Government Servant at the level of ASO/SO/ US
(1	D) Other miscellaneous work	

Terms and Conditions for engagement of Consultant in the Ministry of Health & Family Welfare.

1. The Consultant shall perform the services as assigned by the controlling officer.

2. The normal working hours would be from 9.00 am to 5.30 p.m. with lunch break of 30 minutes from 1.00 p.m. to 1.30 p.m. from Monday to Friday.

3. The consultant shall be entitled to leave at the rate of 1.5 days of leave for every completed month of service, to be availed with prior permission.

4. In special circumstances, the consultant could be called for services on holidays or beyond normal working hours.

5. The contractual appointment is for a maximum period of one year, extendable as per requirement, in Ministry of Health & Family Welfare.

6. The consultant shall be paid a consolidated remuneration as per the formula of last pay drawn minus pension subject to TDS etc. The remuneration for the services rendered in a month shall be payable in subsequent month. No other allowances shall be permissible to him except TA/DA on official tours. TA/DA entitlement shall be the same as what was entitled to him at the time of retirement from the service.

7. Ministry of Health & Family Welfare shall have the right to examine / review the services provided by him.

8. He shall perform his obligations with all necessary skills, diligence, efficiency and economy.

 No medical facility shall be provided to him by the Ministry of Health and Family Welfare. The remuneration is deemed to include an element to cover the cost of medical cover, if any.

10. The Ministry shall not be responsible for any loss, accident, damages / injury suffered by him, whatsoever arising in or out of the execution of his work, including travel.

11. During the terms of service, he shall not engage in any private business of professional activity which could conflict with the interest of the Government.

12. He shall treat all official information as confidential and use the same only for the purpose of the performance of the services.

13. The service can be terminated by either side by giving one month's notice.

APPLICATION FORMAT FOR APPOINTMENT AS CONSULTANT IN HOSPITAL-I SECTION, MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

Position applied for:				
Name				
Father's Name				Affix recent
Date of Birth				passport size
Aadhar Number				photograph
Date of Retirement				
Department retired from				
Designation last held				
Last pay drawn (Basic)				
Pay Level / Grade Pay				
Basic Pension				
Telephone No.				
Mobile No.				
E-mail ID				
Mailing Address				
Permanent Address				
Educational Qualification				
Work Experience (Add se	parate sh	eet is req	uired)	
Organization/Institute	Pe	eriod	Nature of work	Remarks
	From	То		
7.6				

Place

Date

(Signature)

Z-28015/01/2025-स्था.॥

भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

स्थापना-॥ अनुभाग

निर्माण भवन, नई दिल्ली

दिनांक 25-03-2025 :

परिपत्र

विषय : अनुबंध के आधार पर स्वस्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में परामर्शदाता की नियुक्ति।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में अनुबंध के आधार पर परामर्शदाता के रूप में नियुक्ति हेतु सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों से आवेदन आमंत्रित किया जाता है। परामर्शदाता की तैनाती स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में होगी। परामर्शदाता की नियुक्ति से संबंधित विस्तृत नियमें व शर्तें संलग्न हैं। योग्यता-मानदंड व अन्य

1.	अनुबंध के आधार पर नियुक्त किए जाने परामर्शदाता की संख्या	वाले 3
2.	आयु सीमा	आवेदन की तारीख पर अधिकतम 63 वर्ष
3.	कार्यस्थल	अस्पताल-। अनुभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग निर्माण भवन, नई दिल्ली
4.	संविदा की अवधि	एक वर्ष
5.	गत्रता	
6.	गर्यभार	अनुलग्रक के अनुसार

- 2. इच्छुक व्यक्ति जो तत्काल रूप से पद को सँभालने की स्थिति में हैं वे इस परिपत्र के दिनांक से एक महीने के अन्दर सम्बंधित दस्तावेजों (PPO) के साथ संलग्न प्रारूपो में अपना विवरण "अवर सचिव(प्रशासन), कमरा नंबर-330 'सी-विंग', निर्माण भवन" को संबोधित करते हुए " सी. आर. अनुभाग, गेट नंबर-6, ग्राउंड फ्रोर, निर्माण भवन, नई दिल्ली" में जमा करा दें।
- हिंदी अनुवाद में किसी भी विसंगति की स्थिति में, अंग्रेजी संस्करण का पालन किया जाएगा । 3.

Digitally signed by Amit Kumar Sharma Date: 25-03-2025

11:46:40 (अमित कुमार शर्मा) अवर सचिव, भारत सरकार टेलीफ़ोन: 23061323

- 1. विभाग की वेबसाइट में परिपत्र के प्रकाशन हेतु एन.आई.सी. को प्रतिलिपि
- 2. ई ऑफिस नोटिस बोर्ड
- 3. नोटिस बोर्ड
- 4. अवर सचिव (सीएस.I) (ध्यानाकर्षण: श्री सुनील कुमार), लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली डीओपीटी की वेबसाइट पर परिपत्र प्रकाशित करने के लिए।

	कुल पद – 3 , कार्य अवधि- एक वर्ष	
क्र. सं.	कार्यभार	पात्रता
1.	 केंद्र सरकार के अस्पतालों से संबंधित निम्नलिखित मामलों के निर्वहन में सहायता करना: (A) पदोन्नित सहित प्रशासनिक और स्थापना से संबंधित कार्य, सीधी भर्ती के लिए प्रस्ताव, विभागीय पदोन्नित समिति प्रस्ताव, यूपीएससी से संबंधित मामले, कैडर पुनर्गठन (B) डीओपीटी, यूपीएससी, विधायी विभाग आदि जैसे संबंधित प्रभागों/विभागों के साथ भर्ती नियमों का निर्धारण और संशोधन और संबंधित अनुवर्ती कार्रवाई। (C) सूचना की सुविधा के लिए केंद्र सरकार के अस्पतालों, डीटीई जीएचएस और अन्य हितधारकों के साथ समन्वय (D) अन्य विविध कार्य: आवेदन की तारीख को अधिकतम 	आवेदन की तिथि के अनुसार 63 वर्ष की अधिकतम आयु के साथ ASO/SO/US के स्तर पर सेवानिवृत्त केंद्र सरकार का कर्मचारी
2.	केंद्र सरकार के अस्पतालों से संबंधित निम्नलिखित मामलों के निर्वहन में सहायता करना: (A) अदालत मामला/अपील/अवमानना मामले से संबंधित कानूनी मामले पैरा-वार टिप्पणियों का प्रारूपण, सरकार के प्रासंगिक नियमों और विनियमों का आवेदन, डीटीई जीएचएस और अस्पतालों में हितधारकों के साथ संपर्क सहित काम करते हैं (B) सूचना की सुविधा के लिए केंद्र सरकार के अस्पतालों, डीटीई.जीएचएस और अन्य हितधारकों के साथ समन्वय (C) मामलों पर स्थिति नोट और संक्षिप्त नोट तैयार करना (D) अन्य विविध कार्य	आवेदन की तिथि के अनुसार 63 वर्ष की अधिकतम आयु के साथ ASO/SO/US के स्तर पर सेवानिवृत्त केंद्र सरकार का कर्मचारी
3.	केंद्र सरकार के अस्पतालों से संबंधित निम्नलिखित मामलों के निर्वहन में सहायता करना: (A) अस्पतालों से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट पर टिप्पणी, अनुशासनात्मक मामलों की जांच सिहत शिकायतों और सतर्कता संबंधी मामलों को संभालना (B) लोक शिकायत/अभ्यावेदन, आयोग (एनसीएससी/एनसीएसटी/एनसीबीसी/एनएचआरसी) से संबंधित मामले और उनसे संबंधित स्थिति रिपोर्ट (C) सूचना की सुविधा के लिए केंद्र सरकार के अस्पतालों के साथ समन्वय (D) आवेदन की तारीख को अधिकतम 63 वर्ष की आयु के साथ एएसओ/एसओ/यूएस के स्तर पर अन्य विविध कार्य।	आवेदन की तिथि के अनुसार 63 वर्ष की अधिकतम आयु के साथ ASO/SO/US के स्तर पर सेवानिवृत्त केंद्र सरकार का कर्मचारी

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में परामर्शदाता की नियुक्ति हेतु नियम व शर्तें:-

	नारच एवं पारवार कल्याण मत्रालय में परामशदाता की नियुक्ति हेतु नियम व शर्ते:-
1	परामर्शदाता को नियंत्रण अधिकारी द्वारा सौंपे जाने वाले कार्यों को करना होगा।
2	सामान्य कार्यालयी घंटे सोमवार से शुक्रवार तक प्रातः 5.30 बजे से सायं 9.00बजे तक होंगे जिसमें अपराह्न मिनट का लंच ब्रेक होगा। 30 बजे तक 1.30 बजे से 1.00
3	परामर्शदाता एक वर्ष की नियुक्ति अवधि के दौरान सेवा के हर पूरे महीने के लिए 1.5 दिन की छुट्टी का हकदार होगा जिसके लिए पूर्व अनुमति लेनी होगी।
4	विशेष परिस्थितियों मेंपरामर् ,शदात को छुट्टियों में कार्य के लिए बुलाया जा सकता है या सामान्य कार्यालयी घंटों से अधिक समय के लिए रोका जा सकता है।
5	संविदात्मक नियुक्ति अधिकतम एक वर्ष के लिए है जिसे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सकता है।
6	परामर्शदाता को समेकित पारिश्रमिक का भुगतान टीडीएस आदि के अधीन पेंशन को घटाकर अंतिम लिए गए वेतन के फार्मूले के अनुसार किया जाएगा। माह में किए जाने वाले कार्य के पारिश्रमिक का भुगतान अगले माह में किया जाएगा। कार्यालयी दौरे करने पर टीएडीए को छोड़कर अन्य कोई भत्ता / देय नहीं होगा। टीएगी जिसके लिए वे सेवानिवृत्त होते समय पात्र थे।डीए पात्रता वही हो/
7	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पास परामर्शदाता की सेवाओं की जांचसमीक्षा करने का / अधिकार होगा।
8	वह अपने दायित्वों को पूरे कौशलक्षमता व किफायत के साथ करें ,परिश्रम ,गे।
9	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा उन्हें कोई भी चिकित्सा सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी। पारिश्रमिक में चिकित्सा संबंधी लागत को कवर किया माना जाता हैयदि कोई हो। ,
10	मंत्रालय यात्रा सहित उन्हें कार्य करते समय या उसके अलावा होने वाली किसी भी हानि ,दुर्घटना , के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। क्षति/नुकसान
11	सेवाकाल के दौरानवो किसी भी व्यावसायिक के कार्यकलाप के निजी व्यापार में शामिल नहीं होंगे , जो सरकार से हित का टकराव पैदा करें।
12	वह सभी सरकारी जानकारी को गोपनीय रखेंगे और उपर्युक्त का उपयोग केवल कार्यों को पूरा करने के उद्देश्य हेतु ही करेंगे।
13	सेवा को किसी भी पक्ष द्वारा एक माह के नोटिस दिए जाने के द्वारा समाप्त किया जा सकता है।

अस्पताल-l अनुभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में परामर्शदाता की नियुक्ति हेतु आवेदन प्रारूप

आवेदित पद :				
नामः				
पिता का नामः				
जन्म तिथिः				
आधार सं:		*		
सेवानिवृत्त की ता	रीखः			
अंतिम कार्यालय	का नामः			
अंतिम पदनामः				
अंतिम आहरित वे	तनः			
पेंशनः				
दूरभाष सं:				
मोबाइल नंबरः				
ईमेल आईडी:-				
मेलिंग पताः				
स्थायी पताः				
शैक्षिक अर्हताः				
कार्य अनुभव (यदि	आवश्यकता हो ,	अलग से पेपर लगाएं)		
संगठनसंस्थान/	अवधि		कार्य की प्रकृति	टिप्पणियां
	कब से	कब तक		

7.5				
	7 -	т	OT	_
10	60	1	ធា	•

स्थानः

दिनांकः